डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 15 फरवरी, 2020, डिस्पेच दिनांक 15 फरवरी, 2020

| वर्ष 63 | अंक 18 | भोपाल | 15 फरवरी, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

कृषि सलाहकार परिषद परिणाम देने वाली संस्था बने : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कृषि सलाहकार परिषद की पहली बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो, उनकी क्रय शक्ति बढ़े और कृषि क्षेत्र मजबूत हो। इस दिशा में कृषि सलाहकार परिषद परिणाम देने वाली संस्था बने। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश हार्टीकल्चर की राजधानी बने। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था मजबूत होगी। श्री कमल नाथ मंत्रालय में कृषि सलाहकार परिषद की गठन होने के बाद आयोजित पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि सलाहकार परिषद की बैठक में सिर्फ चर्चा न हो। इसके निष्कर्ष भी निकलें और उनका क्रियान्वयन किसानों की बेहतरी में हो। इस लक्ष्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। श्री कमल नाथ ने परिषद के सदस्यों से कहा कि वे अगली बैठक के पहले मुझे और परिषद के सचिव सलाहकार को अपने सुझाव दें, जिससे उनका अध्ययन हो सके और अगली बैठक में उन पर चर्चा के साथ निर्णय हो।

श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारी अर्थ–व्यवस्था कृषि आधारित है। प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती–किसानी से जुड़ी है। जब तक किसानों के पास क्रय शक्ति नहीं होगी, तब तक हम आर्थिक गतिविधियों का विस्तार नहीं कर पाएंगे। छोटे–मोटे व्यापार, व्यवसाय पनपें, इसके लिए किसानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने हार्टीकल्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए जरूरी है कि किसानों को विश्वास हो कि उनके द्वारा उत्पादित फसलों को खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके जरिए हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में उनकी देश के बड़े उद्योगों से भी निरंतर चर्चा हो रही है। प्रदेश में अगर खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों का विस्तार होता है, तो निश्चित ही हमारा प्रदेश हार्टीकल्चर के क्षेत्र में उन्नत प्रदेश के रूप में स्थापित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की कि कृषि सलाहकार परिषद किसानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनकी जरूरतों और तंत्र के बीच में समन्वयक की भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन की कमी के बाद उत्पादन की अधिकता आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों के लिए अधिक उत्पादन लाभप्रद कैसे बने, इस पर भी गंभीरता के साथ व्यवाहारिक उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी सदस्य कृषि क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को पहचानें और उसके आधार पर एक ऐसी रणनीति तैयार हो, जिससे हम खेती–किसानी को लाभ का क्षेत्र बना सकें। उन्होंने कहा कि परिषद एक जवाबदेह मंच बने, ऐसी मेरी मंशा है।

संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री संजीव सिंह ने परिषद के उद्देश्य और लक्ष्यों की जानकारी दी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सदस्य सचिव श्री अजीत केसरी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया के वाइसचांसलर श्री एस.आर. राव सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

कृषि सलाहकार परिषद में म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक भी सदस्य

राज्य शासन ने किसान प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाये रखते हुए प्राप्त सुझावों के क्रियान्वयन एवं समस्याओं के समाधान के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया है। किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष हैं। प्रमुख सचिव किसान–कल्याण एवं कृषि विकास को परिषद का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। परिषद का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। पाँच वर्ष बाद नये सदस्यों के साथ परिषद का पुनर्गठन किया जायेगा। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के वंचित पात्र सदस्यों को भूखण्ड दिलाने के निर्देश

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने उज्जैन में की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही में ढिलाई बरतने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी एक माह में सभी कार्यवाही पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता पात्र व्यक्तियों को गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं से प्लाट आवंटित करवाए जाएं। प्लाट आवंटन के प्रपत्र उन्हें समारोहपूर्वक सौंपे जायेंगे। डॉ. गोविन्द सिंह उज्जैन में सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉ. सिंह ने सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपनी और विभाग की छवि सुधारें। उन्होंने कहा कि सहकारिता आन्दोलन किसानों के हित में है। श्री सिंह ने कहा कि केरल जैसे प्रदेशों में सहकारी सोसायटियाँ ऋण देने के अलावा भी अनेक सामाजिक कार्य कर रही हैं। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

युवा सोच, आशाओं और अपेक्षाओं की धुरी बनें नेहरू युवा केन्द्र

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का राज्य युवा सलाहकार समिति की बैठक में संबोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि युवा सोच, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की धुरी नेहरु युवा केन्द्र बनें। उन्होंने कहा कि पहले युवा खेत में काम करता था, आज का युवा शिक्षित है। हमें इन परिवर्तनों को पहचान कर 2020 का नेहरु युवा केन्द्र बनाने की दिशा में काम करना है। श्री कमल नाथ ने कहा कि इसके लिए युवा केन्द्र एक कार्य–योजना तैयार करे, जिसे राज्य शासन के सहयोग से पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नेहरु युवा केन्द्र संगठन की राज्य–स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि 1972 में जब नेहरु युवा केन्द्र का गठन किया गया था, तब हमारा लक्ष्य युवा शक्ति को संविधान, देश निर्माण, संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक मूल्यों से जोड़कर रचनात्मक दिशा देना था। श्री कमल नाथ ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हमें इसमें कितनी सफलता मिली, हम इसका मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि आज हमें इन लक्ष्यों के साथ ही युवाओं की सोच में आए बदलावों के अनुसार केन्द्र के आधारभूत ढांचे और उसकी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो चुनौतियाँ हैं, उनका मुकाबला युवा करें। गांधी जी के आदर्शों और उनके सिद्धांतों के साथ भारत भूमि की अनेकता की महानता को पहचानें, उन्हें सुरक्षित रखने में योगदान दें, ऐसी सोच हमें युवाओं के अंदर विकसित करना होगी। उन्होंने कहा कि बहुलतावादी संस्कृति, धर्म, आपसी प्रेम, सद्भाव के साथ हमारे सामाजिक मूल्य बने रहें, यह नेहरु युवा केन्द्र का प्रथम दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी लीक पर चलकर केन्द्र सिर्फ संग्रहालय बनकर न रहें बल्कि युवाओं को उर्जित करें कि वे अपनी शक्ति का देश के भविष्य को सुरक्षित रखने में उपयोग करें।

श्री कमल नाथ ने कहा कि नेहरु युवा केन्द्र से मेरा गहरा जुड़ाव है। मैं चाहता हूँ कि यह युवाओं का प्रतिनिधि संगठन बने और इसकी भूमिका प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि संगठन केन्द्र की गतिविधियों के साथ ही राज्य शासन के खेलकूद, युवा कल्याण तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कार्य–योजना बनाए।

मुख्यमंत्री ने नेहरु युवा केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और संगठन को पुरुस्कृत किया। राज्य स्तरीय युवा मंडल का एक लाख का पुरस्कार ग्राम बहुती जिला रीवा को, स्वच्छता अभियान में सुश्री मंजु राठौर अनूपपुर को 50 हजार का प्रथम, रामवन रामायणी मंडल बैतूल को 30 हजार का द्वितीय तथा सुश्री खुशबू नारायणी शहडोल को 20 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री को इस मौके पर शाल–श्रीफल और अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया और केन्द्र का युवा गीत भी भेंट किया गया।

इस मौके पर नेहरु युवा केन्द्र संगठन मध्यप्रदेश के निदेशक श्री दिनेश राय ने केन्द्र की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। खेलकूद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सायबर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

इन्दौर। सहकारिता क्षैत्र को सायबर अपराध, सुरक्षा उपाय व आई.टी. एक्ट के प्रति जागरूक करने के लिये म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं में एक दिवसीय निःशुल्क सायबर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2020 को ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड., इन्दौर तथा 31 जनवरी 2020 को व्यापारिक औघोगिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में सायबर अपराध के प्रकार, तरीके व उनसे बचाव के उपाय तथा आई.टी. एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इससे संबंधित पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक लि. के अध्यक्ष श्री कुलवंत सिंह तथा व्यापारिक ओद्यौगिक सहकारी बैंक के प्रबंधक श्री विजय मार्केण्डय द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षक श्री कालका श्रीवास्तव द्वारा राज्य संघ की गतिविधियों की जानकारी व आभार व्यक्त किया गया ।

(पृष्ठ 1 का शेष)

कृषि सलाहकार परिषद.....

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिषद में 20 मनोनीत सदस्यों में मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव किसान–कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य–पालन, प्रमुख सचिव खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय, ग्वालियर के वाइस चांसलर श्री एस.आर. राव और राज्य कृषि विपणन संघ, राज्य सहकारी संघ, राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक और संचालक किसान–कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी एवं संचालक कृषि अभियांत्रिकी शामिल हैं। इनके अलावा परिषद में 7 अशासकीय सदस्य मनोनीत किये गये हैं। इन सदस्यों के नाम श्री दिनेश गुर्जर मुरैना, श्री शिवकुमार शर्मा होशंगाबाद, श्री उमराव सिंह गुर्जर नीमच, श्री केदार सिरोही हरदा, श्री विश्वनाथ ओक्टे छिन्दवाड़ा, श्री ताराचंद पाटीदार रतलाम और श्री बृजबिहारी पटेल जबलपुर हैं।

सिद्धहस्थ शिल्पियों को मिलेंगे राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार

30 अप्रैल तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित

भोपाल। राज्य शासन ने सिद्धहस्थ शिल्पियों को राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है । राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने सिद्धहस्थ शिल्पियों से पुरस्कार के लिये कलाकृतियों सहित 30 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के कार्यालय अथवा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत में आवेदन जमा किये जा सकते हैं।

राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार में एक लाख, द्वितीय पुरस्कार में 50 हजार, और तृतीय पुरस्कार में 25 हजार रूपये प्रदान किये जाएंगे। तीन शिल्पियों को 15–15 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिये जाएंगे।

पुरस्कार की पात्रता के लिए शिल्पी को मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना आवश्यक है । शिल्पी का पंजीयन एवं निवास अनुशंसा करने वाले जिले में होना चाहिए। शिल्पी का संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अथवा कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प कार्यालय) में पंजीकृत होना भी आवश्यक है। जिलों में प्राप्त आवेदन पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद वर्षांत तक चयनित शिल्पी पुरस्कृत किए जाएंगे।

ऋण माफी से किसान और सहकारी संस्थाएं दोनों मजबूत होंगी : मंत्री श्री शर्मा

भोपाल। जनसंपर्क, विधि एवं अध्यात्म मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि सरकार के द्वारा ऋण माफी से किसान तथा सहकारी संस्थाएँ दोनों मजबूत होंगी। सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थित में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 55 लाख किसानों का फसल ऋण माफ करने के आदेश पर हस्ताक्षर किये। मंत्री श्री शर्मा रीवा में कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित विशाल सहकारिता सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे ।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रीवा में स्व. श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने सहकारिता से जन–जन को जोड़कर सशक्त सहकारिता का निर्माण किया। उन्होंने हर किसान को इससे जोड़ने का सफल प्रयास किया। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के किसान मजबूत और समृद्ध होंगे तो पूरा प्रदेश समृद्ध होगा। मंत्री श्री शर्मा ने सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी।

सम्मेलन में जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कालेजों में 3 हजार पद मंजूर किये गये हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक साल में आम जनता से किये गये 365 वचन पूरे किये हैं। मंत्री श्री शर्मा ने शीघ्र ही राम वन पथ गमन के निर्माण कार्य प्रारंभ होने तथा श्रीलंका में सीता माता के मंदिर निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर रीवा के चिरहुला मंदिर तथा लक्ष्मणबाग मंदिर परिसर के लिए राशि मंजूर कर दी जायेगी।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने सहकारिता के उद्देश्यों तथा रीवा में सहकारिता आंदोलन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

खिलचीपुर में 1376 किसानों का 9 करोड़ से अधिक फसल ऋण माफ

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का जो वादा किया था, उसको पूरा किया है। किसानों की ऋण माफी को लेकर किए गए वादे का अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब 50 हजार से एक लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किये जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री खिलचीपुर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विकासखंड स्तरीय शिविर में खिलचीपुर के 1376 किसानों का 9 करोड़ 43 लाख का फसल ऋण माफ किया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार माफ किए गए ऋण में 8 करोड रुपए राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कन्या विवाह योजना, पेंशन योजना, गौशाला निर्माण सहित सभी वायदों को पूरा करने के लिये चरणबद्ध तरीके से काम किया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जिले में जल्दी ही गेहूँ उपार्जन का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जिले में गेहूँ का रकबा बढ़ा है। इसलिये उपार्जन केंद्रों की संख्या भी बढ़ायी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए पहली बार जिले में 20 नए ग्रिड स्वीकृत किए गए हैं।

जय किस

शहडोल जिले में 13,997 किसानों के 35 करोड़ से अधिक के ऋण माफ

प्रभारी मंत्री श्री मरकाम ने योजना समिति की बैठक में की समीक्षा

भोपाल। आदिम–जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने अपने प्रभार के जिला शहडोल में जिला योजना समिति की बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रथम चरण में 13 हजार 997 किसानों के 35 करोड़ 24 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ किये जा चुके हैं। दूसरे चरण में किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 2266 किसानों के 16 करोड़ 4 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ किये जा चुके हैं।

मंत्री श्री मरकाम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामसभा में किसानों को ऋण माफी की प्रक्रिया समझाई जाये। ग्राम पंचायतों में योजना में लाभांवित पात्र किसानों की सूची भी चस्पा की जाये। श्री मरकाम में समीक्षा बैठक में जिले में हैण्ड–पम्पों से निकलने वाले पानी की जाँच के लिये विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में श्रमिकों की ''नया सवेरा'' योजना की समीक्षा की गई। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये नया सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिये।

किसान अधिक फायदे के लिए गौ-आधारित कृषि अपनायें : श्री सचिन यादव

प्रत्येक पंचायत में बनाये जायेंगे मंगल भवन : राजस्व मंत्री श्री राजपूत

भोपाल। किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव और परिवहन और राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मंत्रीद्वय ने राहतगढ़ में प्रतीक–स्वरूप 12 किसानों को सम्मान–पत्र और ऋण माफी प्रमाण–पत्र प्रदान किये। सागर जिले में योजना के द्वितीय चरण में कुल 22 हजार किसानों के 158 करोड़ 60 लाख रुपये के फसल ऋण माफ किये जायेंगे। प्रथम चरण में जिले के 50 हजार 886 किसानों के 156 करोड़ 21 लाख रुपये के फसल ऋण माफ किये गये।

मंत्री श्री सचिन यादव ने राहतगढ़ में कृषि उपज मण्डी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से कहा कि गौ–आधारित कृषि पद्धति अपनायें। इससे कृषि की लागत में कमी आयेगी और फायदा अधिक होगा। उन्होंने किसानों को कीट–नाशकों के अधिक प्रयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी। श्री यादव ने कहा कि राहतगढ़ कृषि उपज मण्डी को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित किया जायेगा।

राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना से लाभान्वित किसानों की सूची पंचायत भवनों पर चस्पा की जायेगी। प्रत्येक पंचायत में मंगल भवन बनवाये जायेंगे, जिससे ग्रामीणों को शादी–विवाह और मांगलिक कार्यों में स्थान के लिये परेशान न होना पड़े। श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्र सबसिडी योजना का भरपूर लाभ उठायें।

मंत्री श्री यादव ने किसानों को दिये फसल ऋण माफी प्रमाण–पत्र

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव ने सागर जिले के देवरी तहसील मुख्यालय पर आयोजित किसान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत 10 किसानों को प्रतीक स्वरूप ऋण माफी प्रमाण–पत्र प्रदान किए। श्री यादव ने बताया कि देवरी तहसील में योजना के द्वितीय चरण में 2225 पात्र किसानों के 16 करोड़ के फसल ऋण माफ किये जा रहे हैं।

मंत्री श्री यादव ने बताया कि सागर जिले में योजना के प्रथम चरण में 50 हजार 886 पात्र किसानों के 156 करोड़ के फसल ऋण माफ किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना के द्वितीय चरण में जिले के 22 हजार किसानों के 158 करोड़ के ऋण माफ किए जा रहे हैं।

पेयजल योजनाएं आत्म निर्भर बनें : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि पेयजल योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाएं। श्री नाथ ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल एवं नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पेयजल योजनाओं के संचालन और संधारण की लागत का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन्हें स्वयं के वित्तीय स्रोतों के जरिए संचालित करने का प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान आम नागरिकों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

श्री नाथ ने निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि नई जल परियोजनाओं के सभी प्रस्ताव समयबद्ध कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही उसके अनुसार योजनाएं पूरी हों यह भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं की वित्तीय रूपरेखा बनाने में अनुभवी संस्थाओं की सेवाएं लेने को कहा।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय शुक्ला ने भारत सरकार के जलजीवन मिशन के प्रावधानों की जानकारी संचालक मंडल की बैठक में दी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।

नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश में हाई अलर्ट जारी

मंत्री श्री सिलावट द्वारा बड़े पैमाने पर जन–जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। इस वायरस से निपटने के लिये डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी जिला और सिविल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किये गये हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलवाट ने इस संबंध में विभागीय तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिये बड़े पैमाने पर जन– जागरुकता अभियान चलाया जाये। लोगों को इससे बचाव के घरेलू उपायों के साथ परम्परागत उपायों की जानकारी भी दी जाये। उन्होंने एयरपोर्ट पर आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को चिंहित कर उनसे फार्म भरवाने के लिये कहा। साथ ही, नगर निगम के अमले को मीट–मछली मार्केट की प्रतिदिन साफ–सफाई कराने और वहाँ दवाई छिड़कवाने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि चीन से लौटे 6 लोगों को दिल्ली में रोका गया है। केन्द्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग चीन से लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निगरानी में रखकर परीक्षण कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को 14 दिनों तक निगरानी में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर प्रतिदिन इस वायरस से बचाव के लिये किये जा रहे उपायों और इसके प्रभाव की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी चिकित्सक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सभी जिला अस्पतालों में 5 बिस्तर और मेडिकल कॉलेजों में 10 बिस्तर के आईसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। प्रदेश के सागर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज को नोवल कोरोना वायरस के सेम्पल एकत्रित करने के लिये चिन्हांकित किया गया है। सेम्पल निःशुल्क जाँच के लिये प्राईवेट कुरियर द्वारा एन.आई.वी. लैब, पुणे भेजे जायेंगे।

बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा होटलों को चीन अथवा अन्य संक्रमित देशों से आने वाले पर्यटकों की जानकारी देने के लिये कहा गया है। साँची में मेडिकल आउट–पोस्ट की स्थापना की गई है, जहाँ पर्यटकों को नोवल कोरोना वायरस संबंधी जानकारी दी जा रही है। राज्य स्तर पर जनसामान्य को वायरस की जानकारी देने के लिये कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। टोल फ्री न. 104 पर कॉल सेन्टर से इस बारे में कोई भी व्यक्ति अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। यह काल सेन्टर प्रतिदिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला है।

बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गतिविधियों पर केन्द्रित न्यूज लेटर ष्आशाष का विमोचन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त श्री प्रतीक हजेला, खाद्य एवं औषधि नियंत्रक श्री रविन्द्र सिंह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन

भोपाल। श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम बनाये गये हैं। अब धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के लिए तीन कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रूपये और तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गयी है।सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिये हैं, इन नियमों में संशोधन के बाद, अनिवार्य रूप से प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे।

प्रदेश के 14 जिलों में खोले जाएंगे मेगा स्किल सेंटर : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने की ग्लोबल स्किल पार्क निर्माण की समीक्षा

भोपाल। युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रदेश के 14 जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे। ये सेंटर प्रदेश के आदिवासी ब्लाकों में भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मार्च 2020 तक सभी सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री कमल नाथ मंत्रालय में भोपाल में स्थापित होने वाले ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण की प्रगति एवं एशियन डेवलपमेंट की सहायता से क्रियान्वित स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि युवाओं में कौशल विकास हो, यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इससे हम बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर सकेंगे। श्री कमल नाथ ने कहा कि अधिक से अधिक कौशल विकास केंद्र खोले जाएं और उसमें ऐसे ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाए, जिनमें रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भोपाल में स्थापित होने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण मार्च 2020 तक शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने दस संभागीय आई.टी.आई. के निर्माण कार्य में भी गति लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने आई.टी.आई. गोविन्दपुरा के परिसर में संचालित ग्लोबल स्किल पार्क–सिटी केम्पस में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों में प्लेसमेंट तथा नियोजित प्रशिक्षणार्थियों की ट्रेकिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि खरगौन, इंदौर, गुना, ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा, दमोह, सागर, राजगढ़, भोपाल, सिवनी, जबलपुर, शाजापुर एवं उज्जैन में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास श्री प्रमोद अग्रवाल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

संवेगात्मक बुद्धि एवं तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण

भोपाल। कार्यालयीन कार्य कुशलता एवं कर्मचारियों का मनोबल बनाये रखने हेतु कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न तनाव तथा संवेगात्मकबुद्धि के उचित प्रबंधन हेतु सहकारिता विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 4 एवं 6 फरवरी 2020 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में किया गया। दोनों सत्रों में सहकारिता विभाग के कुल 44 सहकारी निरीक्षकों, उप अंकेक्षकों, अंकेक्षण अधिकारियों, सहायकों द्वारा भाग लिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के मुख्य चार क्षेत्र होते हैं, सामाजिक, कार्यालयीन, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन। अधिकतर कार्यकलाप इन्हीं से संबंधित होते हैं। वर्तमान समय चुनौतियों , प्रतिस्पर्धा एवं गति का समय है। इन क्षेत्रों में कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के मध्य सामंजस्य बिठाते प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर तनाव का सामना करना पड़ता है। हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप यदि कार्य न हो तो, और हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे न उतरें तो भी तनाव उत्पन्न होता है। संवेदनशील व्यक्तियों को यह ज्यादा प्रभावित करता है। तनाव हमारी कार्यक्षमता एवं उसकी गुणवत्ता तथा गति दोनो को प्रभावित करता है। विभिन्न तकनीकों की सहायता से हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं।

प्रशिक्षण में संवेगात्मक बुद्धि की रचना का विज्ञान, समग्र क्षमतावर्द्धन हेतु संवेगात्मक बुद्धि, तनाव का प्रबंधन क्या, क्यों और कैसे आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी श्री एम. एन. अफाक एवं श्री पृथ्वीराज सिन्हा द्वारा दी गई। प्रशिक्षण के सत्रों का समन्वय केन्द्र भोपाल की कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा किया गया।

गांधी जी के विचार सर्वकालिक प्रासंगिक : राज्यपाल श्री टंडन

गाँधी जी की 72वीं पुण्य–तिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना सम्पन्न

भोपाल। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा है कि आज गाँधी जी हमारे बीच सशरीर भले ही नहीं हों, परन्तु उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। गाँधी जी ने मानवता का व्यवहारिक पक्ष अपने आचरण से स्थापित किया। उनकी मान्यता थी कि विभिन्नताएँ बाहरी तत्व हैं, मूलतरू हम सब एक है। भेद–भाव करना अमानवीयता है। उनके इस चिंतन से समाज में बड़ा परिवर्तन आया। राज्यपाल श्री टंडन गाँधी जी की 72वीं पुण्य–तिथि पर गाँधी भवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने गाँधी भवन न्यास द्वारा प्रकाशित गाँधी जी पर केन्द्रित कैलेन्डर का विमोचन किया।

राज्यपाल ने कहा कि बीते 150 वर्षों में कई लोग हुए, जिन्होंने देश और समाज के लिये बड़े–बड़े काम किये परन्तु गाँधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिन्हें हम आज भी याद कर रहे है, उनकी धरोहरों को सम्हाल रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं। शांति गाँधी जी के विचारों पर चलने से ही प्राप्त होगी। उनके प्रिय भजन सुनते हुए हम अपने दुख–दर्द भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो गाँधी को भी नहीं मानते होंगे परन्तु गाँधी जी हम सबके बीच सम्मानीय थे, हैं और सदैव रहेंगे।

गाँधी जी की पुण्य–तिथि पर आयोजित कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्यपाल श्री टंडन ने गाँधी जी की प्रतिमा को सूत की माला पहनाई और उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। गाँधी भवन के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की गई। इसके बाद विक्रम हायर सेकेण्ड्री स्कूल, भेल के विद्यार्थियों द्वारा वैष्णव जन और राम धुन प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर गाँधी भवन द्वारा 20 दिसम्बर 2019 को आयोजित जिला स्तरीय गाँधी ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को राज्यपाल ने गाँधी साहित्य, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिंह देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के अंत में सभा में दो मिनट का मौन रखकर गाँधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन गाँधी भवन के न्यासी श्री महेश सक्सेना ने।

आदिवासी क्षेत्रों में 50 सामुदायिक भवनों के लिये 34 करोड़ स्वीकृत

भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया बहुल्य क्षेत्रों में 50 सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिये 34 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इनमें से संभागीय स्तर पर बनने वाले 3 सामुदायिक भवन के लिये 6 लाख रुपये, 10 जिला–स्तरीय सामुदायिक भवन निर्माण के लिये 10 लाख रुपये और 37 विकासखण्ड–स्तरीय सामुदायिक भवन निर्माण के लिये 18 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

प्रदेश में निवास करने वाली आदिवासियों की संस्कृति और उनके देव–स्थलों के संरक्षण के लिये आस्ठान योजना शुरू की गई है। योजना के जरिये आदिवासी समुदाय के कुल–देवता और ग्राम देवी–देवताओं के स्थानों में निर्मित देवगुढ़ी, मढ़िया, देवठान पर आने वाले श्रद्धालुओं के विश्राम के लिये सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन सामुदायिक भवनों में पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ होंगी।

जबलपुर, ग्वालियर और शहडोल संभागीय मुख्यालय पर 2–2 करोड़ रुपये के मान से राशि मंजूर की गई है। जिला–स्तरीय सामुदायिक भवन निर्माण के लिये 1–1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ये सामुदायिक भवन मंडला जिले के मोहगांव विकासखण्ड के ग्राम चौगान, डिंडोरी जिले के डिंडोरी, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड के अमरकंटक, गुना जिले के राघौगढ़ विकासखण्ड के ग्राम लक्ष्मणपुरा, उमरिया जिले के पाली, छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड में अनहोनी मेला, मुरैना जिले के पहाडगढ़, शिवपुरी जिले के पोहरी, अशोकनगर जिले के चंदेरी विकासखण्ड के ग्राम नानकपुर और बालाघाट में बनाये जाएंगे।

आदिम जाति कल्याण विभाग ने दतिया जिले के भांडेर विकासखण्ड के मरईमाता ग्राम नोबई, अशोकनगर जिले के अशोकनगर, गुना जिले के विकासखण्ड बम्होरी के ग्राम अकोदा, ग्वालियर जिले के घाटीगाँव और डबरा विकासखण्ड के ग्राम कोसा, मुरैना जिले के जौरा, श्योपुर जिले के विजयपुर और श्योपुर, उमरिया जिले के करकेली, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड के ग्राम खजरवार, मण्डला जिले के मण्डला, निवास, नारायणगंज विकासखण्ड के माडोगढ़, नैनपुर, बीजाडाण्डी विकासखण्ड के ग्राम खमेरखेड़ा, भिण्ड जिले के गोहद, बालाघाट जिले के बिरसा और शिवपुरी जिले के कोलारस में विकासखण्ड स्तरीय सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50–50 लाख रुपये मंजूर किये गये हैंफ निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ नियत समय में पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के वंचित पात्र सदस्यों ...

इस दिशा में हमें भी सोचना चाहिये। उन्होंने इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के सहकारी बैंकों के काम–काज एवं लाभ–हानि की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री एम.के. अग्रवाल, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के श्री प्रदीप नीखरा, अपर पंजीयक श्री आरसी घिया, सहकारिता विभाग के सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।

जांच में ढिलाई हुई, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति

मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने समीक्षा के दौरान कहा कि उन गृह निर्माण संस्थाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये, जिन्होंने अब तक सदस्यों को भूखण्ड नहीं दिये हैं और नये सदस्य बनाकर उनको भूखण्ड आवंटित कर दिये हैं। डॉ. सिंह ने अधिकारियों से कहा कि यदि उन्होंने गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध जांच में ढिलाई बरती, तो अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रकरण तैयार किये जायेंगे। उन्होंने उज्जैन शहर के लिये संयुक्त आयुक्त उपायुक्त, उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ऑडिट आफिसर की एक समिति बनाने के निर्देश दिये हैं। यह समिति आगामी 15 दिनों में सभी शिकायतों की जांच कर पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड दिलवाने की कार्यवाही करेगी।

खरीफ ऋण चुकाने की अन्तिम तिथि 28 मार्च

मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने खरीफ ऋण की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कि खरीफ ऋण की वसूली की अन्तिम तिथि 28 मार्च है। यदि किसान इस तिथि तक ऋण नहीं चुकायेंगे, तो उन्हें बैंक के नियम अनुसार जीरो प्रतिशत ब्याज दर का लाभ नहीं मिलेगा। सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल ने सभी बैंकों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार रिकवरी करें तथा फायनेंस भी करें।

इन्कम टैक्स/जीएसटी रिटर्न के लिये नोडल आफिसर

सहकारिता मंत्री ने इन्कम टैक्स एवं जीएसटी रिटर्न के लिये बैंक की सभी ब्रांच में नोडल आफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी–कर्मचारी की गलती से बैंक को इन्कम टैक्स अथवा जीएसटी की पैनल्टी लगती है, तो सम्बन्धित अधिकारी–कर्मचारी से इसकी वसूली की जाये। सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक माह में कम से कम 10 दिन संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त बैंकों के काम–काज की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सहकारिता की यह जिम्मेदारी है कि जिले में सहकारी बैंक का ठीक तरीके से संचालन हो।

किसानों के खाते में समय पर जमा हो ऋण माफी की राशि

'जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने निर्देश दिये कि किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि समय पर जमा हो, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि एक लाख रूपये से अधिक ऋण माफी की राशि फरवरी माह में ही किसानों के खाते में जमा होना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

राम पथ वन गमन निर्माण में तेजी लाने के लिए गठित होगा ट्रस्ट : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने की राम पथ वन गमन निर्माण कार्यों की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राम पथ वन गमन निर्माण की समीक्षा बैठक में ट्रस्ट बनाने और पथ निर्माण का दायित्व सड़क विकास निगम को सौंपने के निर्देश दिए हैं। श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रथम चरण में 30 किलोमीटर अमरकंटक और 30 किलोमीटर चित्रकूट क्षेत्र से पथ का सर्वे कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। बैठक में जनसम्पर्क एवं अध्यात्म मंत्री श्री पी.सी. शर्मा एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि राम पथ वन गमन निर्माण कार्य में गति लाई जाए। पथ निर्माण क्षेत्र का सर्वे कार्य तत्काल पूरा करें। पथ के दोनों ओर पौधारोपण सहित जो भी सुविधाएँ और सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, उसकी भी योजना समय–सीमा में बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पथ निर्माण कार्य की सभी औपचारिकताएँ त्वरित गति से पूरी हों। धनराशि की उपलब्धता के संबंध में कहा कि पथ निर्माण के लिए इस वर्ष बजट में 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष भी राशि का पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि राम पथ वन गमन निर्माण में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही ट्रस्ट गठित किया जाए। ट्रस्ट में साधु–संतों के साथ जन–प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। इसके निर्माण के लिए भगवान राम के प्रति आस्था रखने वालों से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त किया जाए। पथ का निर्माण ट्रस्ट की निगरानी में हो। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट का प्रारुप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सड़क विकास निगम को दायित्व

मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण से जुड़े सर्वे आदि का दायित्व सड़क विकास निगम को देने के निर्देश दिए हैं। निगम अध्यात्म विभाग के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान शासकीय, वन एवं निजी भूमि चिन्हित कर उसके अधिग्रहण सहित अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण की चौड़ाई कम से कम 8 फिट रखने को कहा। उन्होंने पथ के गुणवत्तापूर्वक और त्वरित गति से निर्माण कार्य के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि चित्रकूट स्थित मंदिरों को मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा।

सीता माता मंदिर निर्माण के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों का दल श्रीलंका जाएगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज श्रीलंका में सीता माता के मंदिर तथा साँची में अंतर्राष्ट्रीय के स्तर बौद्ध दर्शन केन्द्र विकसित करने की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारियों का उच्चस्तरीय दल श्रीलंका सरकार से चर्चा कर सीता मंदिर निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में हुई बैठक में कहा कि अधिकारियों का दल बौद्ध दर्शन के विश्व प्रसिद्ध स्थल बोधगया भी जाए और वहाँ के अनुभवों के आधार पर शीघ्र एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें। यह दोनों कार्य समय–सीमा में प्रारंभ करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों का दल श्रीलंका जाकर वहाँ की सरकार से सीता मंदिर निर्माण संबंधी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करे। यह दल सभी मुद्दों पर चर्चा कर मंदिर निर्माण संबंधी कार्य योजना बनाए। इसमें मध्यप्रदेश और श्रीलंका की भूमिका का भी स्पष्ट उल्लेख हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साँची में भी जो कार्य किए जाने है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 दिन में तैयार करें और 30 दिन में क्या काम किए जाने हैं, इसे अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने साँची बौद्ध अध्ययन केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र सहित अन्य कार्यों के संबंध में जापान तथा श्रीलंका सहित अन्य बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखने वाले देशों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चर्चाओं के आधार पर योजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव अध्यात्म श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

आयुर्वेद टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास : मंत्री डॉ. साधौ

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा, आयुष और संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने ग्वालियर में स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की साधारण सभा तथा शासकीय गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय की सामान्य परिषद की बैठक में भाग लिया। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि आपका पेशा संवेदनशील है, मानव सेवा से जुड़ा है, इसलिये आम आदमी को ऐसी सेवाएँ दें, जिससे लोग आपको हमेशा याद रख सकें।

मंत्री डॉ. साधौ ने कहा कि आयुर्वेद को मेडिकल टूरिज्म के रूप मे विकसित करने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके अन्तर्गत पर्यटन स्थलों पर पंचकर्म, सिरोधारि जेसे आयुर्वेद उपचार की सुविधाएँ पर्यटकों को उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि आयुवेर्दिक उपचार की इन पद्धतियों का जिला स्तर तक विस्तार किया जायेगा।

मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने शासकीय गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय की सामान्य परिषद की बैठक में निर्देश दिए की चिकित्सालय में अल्ट्रा सोनोग्राफिक मशीन, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरण लगाये जायें। महाविद्यालय स्वशासी होने के नाते आय के अपने स्त्रोत भी विकसित करे। डॉ. साधौ ने आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की साधारण सभा की बैठक में कहा कि महाविद्यालय परिसर में ऑडिटोरियम एवं चिकित्सालय में ओ.पी.डी. ब्लॉक के निर्माण का प्रस्ताव बनाएं।

बुनकरों की आय बढ़ाने सौर ऊर्जा से खादी वस्त्र उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव और पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने बुनकरों की आय बढ़ाने के लिये खादी वस्त्र उत्पादन में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रालय में अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया। प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रबंध संचालक राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड श्री मनोज खत्री ने विचार–विमर्श में भाग लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150वीं जयंती वर्ष में गाँधी दर्शन के अनुरूप बुनकरों द्वारा सौर ऊर्जा से विकेन्द्रीकृत रूप से लूम संचालित किये जाने की आवश्यकता है। इससे बुनकरों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेंगी। चर्चा के दौरान सौर ऊर्जा के उपयोग से उत्पादित खादी वस्त्रों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिये भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम–2015 में प्रावधान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि बुनकरों को सौर ऊर्जा के उपयोग से वस्त्र उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लिये क्लस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी एक स्थान पर पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरूआत की जाये।

इस मौके पर बताया गया कि प्रदेश में सोलर चरखा और सोलर लूम के उपयोग के लिये कत्तिन और बुनकरों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने वस्त्र उत्पादन में सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार सोलर चरखे के एक क्लस्टर के लिये 8 से 10 कि.मी. की परिधि में करीब 300 कत्तिन और बुनकर कम से कम 400 सोलर चरखे और 100 सोलर लूम का उपयोग करेंगे। सिलाई कार्य के लिये भी कामगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों हेतु न्यायिक निर्णयों का लेखन पर प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। सहकारिता विभाग के नव नियुक्त सहायक आयुक्तों एवं अंकेक्षण अधिकारियों हेतु ''न्यायिक निर्णयों का लेखन'' विषय पर दिनांक 30 एवं 31 जनवरी 2020 को म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल में आयोजित किया गया। श्री पी.डी. मिश्रा, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, ने ''सहकारी न्याय व्यवस्था'' श्री जी.सी. केवलरमानी, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, सहकारिता भोपाल ''न्यायालय लेखन अन्तर्गत अंतरिम आदेश एवं अंतिम आदेश'' डा. अनिल वर्मा, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, न्यायिक सेल, भोपाल ''न्यायिक कार्यप्रणाली एवं न्याय संपादन में होने वाली त्रुटियां'' श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, ''वाद प्रश्नों की संरचना एवं उसका निर्धारण'' ''सहकारी न्याय निर्णय लेखन में प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्त का प्रयोग अर्न्तभुत शक्ति'' श्री गिरीश ताम्हणे, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं सदस्य को–आपरेटिव ट्रिब्यूनल,भोपाल, ''सहकारी अधिनियम अन्तर्गत न्यायिक निर्णयों में प्रासंगिक धारायें'' श्री डी. के. सक्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता भोपाल सहकारी न्यायालय, न्यायालयीन प्रक्रिया, सीपीसी के प्रावधान'' विषयों पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण में सहकारिता विभाग के विभिन्न जिलों से आये 17 सहायक आयुक्त एवं अंकेक्षण अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने कार्यो में करने की अपेक्षा की ताकि प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध हो सके तथा उन्होंने प्रमाण पत्र भी वितरित किये। अन्त में आभार श्री अरूण कुमार जोशी, प्रभारी प्राचार्य ने व्यक्त किया। प्रशिक्षण के सत्रों का समन्वय केन्द्र भोपाल की कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा किया गया।

नव नियुक्त उप अंकेक्षकों हेतु अंकेक्षण प्रणाली एवं विभागीय कर्तव्य तथा दायित्व निर्वहन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल में सहकारिता विभाग के जिलों/मुख्यालय में पदस्थ नव नियुक्त उप अंकेक्षकों हेतु अंकेक्षण प्रणाली एवं विभागीय कर्तव्य तथा दायित्व निर्वहन पर 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण 1 फरवरी से 15 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण मे 31 उप अंकेक्षकों ने भाग लिया। उप अंकेक्षकों को सहकारिता विभाग के प्रमुख कार्य पद्धति, सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधान, वित्तीय लेखांकन, शिकायतों की जांच, गबन, ई–कॉपरेटिव्ह, वसूली की प्रक्रिया, बिक्री अधिकारी का कार्य तथा सूचना का अधिकार अधिनियम आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक अध्ययन हेतु विभिन्न सहकारी समितियों में भ्रमण एवं निरीक्षण भी कराया गया। सत्र का समन्वय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के प्राचार्य श्री ए. के. जोशी द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।